नामान्तरण अपील वाद सं0 03/2018–19

1. श्री दीपक सर्राफ अग्रवाल, पिता स्व० किशोरी लाल अग्रवाल, 2. श्रीमति किरण देवी, सराफ, पति स्व० प्रकाश सर्राफ 3. सजल सर्राफ अग्रवाल, 4. पवन सर्राफ अग्रवाल, सभी के पिता स्व० किशोरी लाल अग्रवाल.....अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा।

आदेश

आदेश का क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की संक्षिप्त टिप्पणी एवं तारीख
10 10/2020	यह नामान्तरण अपील अपीलार्थी 1. श्री दीपक सर्राफ अग्रवाल, पिता स्व० किशोरी लाल अग्रवाल, 2. श्रीमति किरण देवी, सराफ, पति स्व० प्रकाश सर्राफ 3. सजल सर्राफ अग्रवाल, 4. पवन सर्राफ अग्रवाल, सभी के पिता स्व० किशोरी लाल अग्रवाल मोहल्ला– सदर बाजार, थाना– सदर चाईबासा, के द्वारा अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के न्यायालय में नामान्तरण वाद संख्या–**305R27/2018-19** में दिनांक 09.11.1918 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपील दायर होने के उपरान्त अंचल अधिकारी सदर चाईबासा को नोटिस निर्गत की गई, जिसके आलोक में सरकारी अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा की ओर से उपस्थिति दर्ज करायी गई। निम्न न्यायालय से प्रश्नगत नामान्तरण वाद का मूल अभिलेख प्राप्त कर अवलोकन किया गया है। अपीलार्थी गण ने अपने अपील आवेदन में सूचित किया हैं कि चाईबासा नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत मोहल्ला– अमलाटोला के वार्ड सं०–03 थाना+पो०–चाईबासा के अर्न्तगत खाता सं०–80, प्लॉट सं०–64 a to m तक रकवा–14.125 डी० भूमि को निबंधित विक्रय दलील संख्या– 9699 दिनांक 03.09.1997 के द्वारा श्रीमति दुर्गा रानी चटर्जी, पति– स्व० पूर्ण चन्द्र चटर्जी एवं अन्य तीन से क्रय किया है। उक्त भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन को अंचल अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 09.11.2018 के द्वारा रद्ध कर दिया। आदेश में निहित भूमि का संक्षिप्त ब्योरा निम्नांकित है:– 1. विगत सर्वे (CS) खातियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा दुम्बीसाई, थाना नं०–643 के अर्न्तगत खाता सं०–97, प्लॉट न–48 एवं 39, रकवा– 07 कट्ठा 16 धूर मागेया हो एवं अन्य के नाम पर अंकित था। 2. प्रश्नगत भूमि को खतियानी रैयत के द्वारा तत्कालीन ग्राम लखराजदार दूलु मानकी को स्थानीय परम्परा के अनुरूप सरेन्डर कर दिया गया था, जिसे मौजा दुम्बीसाई के लखराजदार दुलू मानकी के द्वारा निबंधित पट्टा संख्या 232/1937 के द्वारा दिनांक 14.07.1937 को वर्त्तमान जमाबंदी रैयत विष्णुपद चटर्जी के पक्ष में बन्दोबस्त कर दिया गया। बन्दोबस्ती प्राप्त करने के उपरान्त विष्णुपद चटर्जी के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत होकर जमाबंदी कायम हुई तथा वर्त्तमान तक जमाबंदी उनके नाम पर दर्ज है। पूर्व में जमाबंदी रैयत विष्णुपद चटर्जी तथा उनके निधन के बाद उनके वारिशानों के द्वारा साल दर साल लगान भुगतान किया जाता रहा है। उक्त भूमि पर अवस्थित संरचना का नगरपालिका होल्डिंग संख्या 3/11 जमाबंदी रैयत विष्णुपद चटर्जी के नाम पर दर्ज है। उस समय से अब तक बन्दोबस्तधारी विष्णुपद चटर्जी तथा उनके निधन के पश्चात् उनके वारिशानो का लगातार शांतिपूर्ण दखल कब्जा रहा है।	

Scanned with CamScanner

3. विगत सर्वे Revisional survey जो 1972 में प्रकाशित किया गया है, में प्रश्नगत भूमि खाता सं०–80, प्लॉट नं०–64 a to p के रूप में सिदिऊ पिता गोनो हो के नाम पर दर्ज हो गया है। सिदिऊ हो पूर्व खातियानी रैयत मागेया हो के वंशज हैं, जिनके नाम पर नये खातियान मे रैयत के रूप में प्रवृष्टि की गयी है, परन्तु अभ्युक्ति कॉलम में विष्णुपद चटर्जी को अवैध दखलकार के रूप में अंकित किया गया है।

4. खातियानी रैयत के वंशज मागेया देवगम, पिता स्व० गोनो देवगम के द्वारा छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा **71A** के तहत् दिनांक 07.12.1998 को भू–वापसी हेतु एक वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में दायर किया। इस वाद को **SAR** वाद सख्या **12/1998-99** के रूप में दर्ज किया गया है।

5. वाद ग्रस्त भूमि के ही एक अंश पर आवासित विष्णुपद चटर्जी के किरायेदार आशा सिंह एवं अन्य ने भी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर चाईबासा के न्यायालय में उपस्थित होकर उनके दखल की भूमि को उन्हें बन्दोबस्त किये जाने का अनुरोध किया। प्रारम्भ में यह मामला **SAR** वाद सख्या **09/1998-99** के रूप में दर्ज हुआ परन्तु बाद में इसे **SAR** वाद सख्या **12/1998-99** में समाहित करते हुए एक वाद के रूप में सुनवाई की गयी। **SAR** वाद सख्या **12/1998-99** में तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर चाईबासा ने दिनांक 22.01.2002 को पारित आदेश में आवेदन को कालबाधित घोषित करते हुए रद्ध कर दिया एवं वाद की कार्रवाई को समाप्त कर दिया। दिनांक 22.01.2002 को पारित आदेश के विरूद्ध मागेया देवगम एवं आशा सिंह ने उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्ययालय में अलग–अलग अपील दायर किया जो क्रमशः **SAR** अपील सख्या **35/2001-02** एवं **36/2001-02** के रूप में दर्ज हुआ। उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम ने उक्त दोनों वाद को दिनांक 10.08.2004 को पारित आदेश में दोनो आवेदनों को अलग–अलग निष्पादित किये जाने के निर्देश के साथ निम्न न्ययालय में Remand कर दिया गया। अपने आदेश में उपायुक्त पश्चिमी चाईबासा ने यह टिप्पणी की कि "भूमि की बन्दोबस्ती जो निबंधित पट्टा के माध्यम से किया गया है, को अवैध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उक्त बन्दोबस्ती पट्टा को किसी भी पक्ष के द्वारा **Challenge** नहीं किया गया है, ना ही किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे Set Aside किया गया है।

6. **SAR** अपील सख्या **35/2001-02** एवं **36/2001-02** में अंकित टिप्पणी के आलोक में मागेया हो एवं अन्य ने विष्णुपद चटर्जी के पक्ष में निष्पादित निबंधित बन्दोबस्ती पट्टा को रद्ध किये जाने के अनुरोध के साथ माननीय वरीय सिविल जज, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायलय में Original संख्या 06/2016 दायर किया। उक्त वाद में माननीय वरीय सिविल जज ने दिनांक 19.05.2016 को पारित अपने आदेश में आवेदन को कालबाधित मनाते हुए **Dismiss** कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार का अपील किये जाने की सूचना On Record नहीं है।

SAR अपील सख्या **35/2001-02** एवं **36/2001-02** में दिनांक 10.08.2004 को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय आयुक्त सिंहभूम (कोल्हान) के न्यायलय में **SAR Revision** वाद संख्या 08/2004 दायर किया गया। माननीय आयुक्त ने दिनांक 18.03.2015 को पारित आदेश में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पुरे मामले को नये सिरे से सुने जाने के निर्देश के साथ वाद को निष्पादित कर दिया।

7. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर चाईबासा के न्यायलय में उक्त निर्देश के आलोक में पुनः

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, चाईबासा

Scanned with CamScanner

दोनों मामलों की सुनवाई की गयी एव दिनांक 22.04.2017 एवं 31.03.2017 में अलग–अलग पारित आदेश के द्वारा दोनों आवेदनों को Dismiss कर दिया गया। उक्त दोनों आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार का अपील दायर नहीं किया गया है।

अपीलार्थी गण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है तथा जमाबंदी उनके विक्रेतागण के पूर्वज के नाम पर अब भी कायम है। अतः अंचल अधिकारी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या **305R27/2018-19** में दिनांक 09.11.2018 को पारित आदेश को रद्ध करते हुए उनके पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किये जाने का आदेश निर्गत किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा ने नामान्तरण मुकदमा संख्या–**305R27/2018-19** में दिनांक 09.11.2018 को पारित आदेश में इस टिप्पणी के साथ नामान्तरण आवेदन को अस्वीकृत किया है कि" **दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। भूमि आदिवासी खाते की है। राजस्व कर्मचारी ने नामान्तरण अस्वीकृत हेतु अनुशंसा किया है। अतः नामान्तरण अस्वीकृत किया जाता है**"

वाद के सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा सरकारी अधिवक्ता के पक्ष को सुनने एवं उपलबध कराये गये दस्तावेज के अवलोकन से विदित होता है कि :–

1. प्रश्नगत भूमि को Cadesteral survey के खातियानी रैयत के द्वारा भूमि Surrender किये जाने के उपरान्त ग्राम दुम्बीसाई के लखराजदार दुलू मानकी के द्वारा निबंधित पटा संख्या–232/1937 दिनांक 14.07.1937 को विक्रेतागण के पूर्वज विष्णुपद चटर्जी के पक्ष में की गई बन्दोबस्ती को किसी सक्षम न्यायलय के द्वारा अवैध घोषित नहीं किया गया है।
2. बन्दोबस्तधारी विष्णुपद चटर्जी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण तथा कायम जमाबंदी अब भी विद्यमान है।
3. किये गये बन्दोबस्ती के विरूद्ध दायर Orignal Suit संख्या–06/2016 के निष्पादित होने के उपरान्त उक्त के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की गयी है।
4. भूमि वापसी हेतु दायर वाद के अंतिम निष्पादन के उपरान्त अब तक कोई अपील दायर नहीं की गई है। भूमि लगातार अपीलार्थीगण एवं उनके Predecessor-in-interest के दखल कब्जा में है। जमाबंदी भी अपीलार्थी के Predecessor-in-interest के नाम पर कायम है। ऐसे में नामान्तरण के आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का उचित कारण प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या– **305R27/2018-19** में दिनांक 09.11.2018 को पारित आदेश को रद्द करते हुए अपीलार्थीगण के अपील को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर अपीलार्थीगण के पक्ष में जमाबंदी में आवश्यक सुधार कर शुद्धि पत्र निर्गत करें।

आदेश की प्रति अपीलार्थीगण तथा अंचल अधिकारी सदर चाईबासा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित

10/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का कार्यालय सदर, चाईबासा

10/10/2019

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा

Scanned with CamScanner